भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3340

जिसका उत्तर 20 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम

3340. श्री अरुण कुमार सागरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्षवार और राज्यवार अब तक आवंटित और उपयोग की गई केंद्रीय निधियों का ब्योरा क्या है और लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): देश में उत्तर प्रदेश राज्य सहित कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शाहजहाँपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मौजूदा सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत लाभार्थी जिलों में शामिल नहीं है।

(ख): सीएडीडब्ल्यूएम कार्यों का उद्देश्य, जल की बर्बादी को कम करने और जबकि खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करते हुए खेत तक सिंचाई जल की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को वर्ष 1973-74 से लागू किया गया है, इसे वर्ष 2016-17 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(ग): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम के तहत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (सीए) का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रूपए में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (15 फरवरी, 2025 तक)
1	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	6.87	8.52*
2	कर्नाटका	0.00	2.97	0.00	0.00
3	मध्य प्रदेश	15.76	5.57	12.82	10.94*

4	महाराष्ट्र	28.88	60.75	69.84	18.34+28.54*
5	मणिपुर	2.09	0.00	7.74	0.00
6	पंजाब	0.00	9.00	55.00	20.00
7	राजस्थान	61.26	20.78	22.12	13.66*
	कुल	**107.99**	**99.07**	**174.39**	**38.34+61.66***

** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय सहायता हेतु मदर सेंक्शन जारी की गई।*

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 1,86,19,121 है। हालांकि, इस विभाग द्वारा सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए लाभार्थी का अलग से विवरण नहीं रखा जाता है।

*****